सीवर मज़दूरों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो?

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क तथा कई संगठनों व अभियानों के सहयोग से सीवर/मैनहोल मज़दूरों की समस्याओं के बारे में आयोजित एक जन सुनवाई में यह उभरा कि सीवर व्यवस्था में बुनियादी सुधार होने चाहिए जिससे मज़दूर सुरक्षित रहें और प्रदूषण भी कम हो।

मधु व भारत डोगरा

दिल्ली में 18 व 19 अप्रैल को ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने सीवर/मैनहोल मज़दूरों के कई संगठनों व अभियानों के सहयोग से एक जन सुनवाई का आयोजन किया। इस आयोजन में अवकाश प्राप्त जस्टिस एच. सुरेश व अनेक प्रतिष्ठित लोग पैनलिस्ट के रूप में उपस्थित थे।

जन सुनवाई में अनेक सीवर मज़दूरों ने अपने कार्य से जुड़े विभिन्न खतरों के बारे में बताया जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है अपितु अनेक सीवर मज़दूरों की मृत्यु भी हो जाती है। ज़हरीली गैस से प्रभावित होकर मरने वाले सैकड़ों मज़दूरों की मौत के समाचार तो पिछले तीन-चार वर्षों में ही प्रकाशित हो चुके हैं। जिस समय यह जन सुनवाई चल रही थी, उस दौरान ही आयोजकों को गांधीनगर (गुजरात) से ऐसे ही एक मज़दूर की मौत का समाचार प्राप्त हुआ था।

जन सुनवाई के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार सीवर मज़दूरों की एक बड़ी संख्या सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की आयु तक नहीं पहुंचती क्योंकि उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। जहां एक ओर अनेक मज़दूर सीवर से निकलने वाली ज़हरीली गैस से प्रभावित होकर मरते हैं, वहीं बुरी तरह दूषित मल-जल में गोता लगाने वाले मज़दूर अनेक अन्य गंभीर बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं से भी त्रस्त रहते हैं। तमिलनाडु से आए सीवर मज़दूर चिन्नैया ने बताया कि ज्वलनशील गैस से भरे सीवर में प्रवेश करने पर उसके साथी मज़दूर बाबू को आग लग गई थी व चिन्नैया ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वह भी प्रभावित हुआ।

देश के अनेक सीवर मज़दूरों को या तो अपनी सुरक्षा के ज़रूरी साधन मिलते नहीं हैं और मिलते भी हैं तो ये हमारे देश की स्थितियों के अनुकूल नहीं होते। इस कारण प्रायः इनके बिना असुरक्षित स्थिति में ही मज़दूरों को काम करना पड़ता है।

हाल के समय के निजीकरण के दौर में सरकार ने सीवर मज़दूरों की भर्ती कम कर दी है व ठेकेदारी से अधिक काम होने लगा है। जब मज़दूर पर्याप्त संख्या में होते थे तो सीवर को ठीक करने के लिए आठ-दस सदस्यों की बड़ी टीम जाती थी और वे मिलकर काम बांट कर सुरक्षा का बेहतर इंतज़ाम कर लेते थे। पर जब मज़दूर कम हो गए व मात्र दो-तीन मज़दूरों की टीम जाने लगी तो दुर्घटना की संभावना बढ़ गई। ठेकेदारी व्यवस्था में सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है।

पर्याप्त मात्रा में स्थाई व सुरक्षित नौकरी वाले मज़दूरों की व्यवस्था के साथ उन्हें विशेष सुरक्षा भत्ता, बीमा सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने चाहिए। उनके सुरक्षा उपकरण भारतीय स्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। जहां खतरे की संभावना हो वहां इंजीनियरों की उपस्थिति में ही कार्य होना चाहिए।

दुर्घटना की स्थिति में मज़दूर के लिए तुरंत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए व उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी कर ज़रूरी इलाज होना चाहिए।

जन सुनवाई में कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि देश की सीवर व्यवस्था में बुनियादी सुधार होने चाहिए जिसमें मज़दूरों के लिए भी खतरा कम होगा व प्रदूषण का खतरा भी कम होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***